कम्प्यूटर नं०-1717434

संख्या-02/2025/118/52-1-2025

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2025**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक मद की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-4489/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./जि.टैग-379/2023 दिनांक 30.01.2025 एवं पत्र सं0-4994/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./डी०एल०एफ०/2025 दिनांक 10.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में एस.एन.ए. से हुए अद्यतन वास्तविक व्यय की कुल धनराशि रू० 16505.79 लाख के सापेक्ष अनुमन्य प्रशासनिक व्यय के मद में 2 प्रतिशत की कुल धनराशि रू० 330.12 लाख में से धनराशि रू० 315.82800 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अनुमन्य प्रशासनिक मद की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि का व्यय एस०एन०ए० खाते से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के प्रस्तर 3.11 Administrative Cost के उप प्रस्तर 3.11.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एस.एन.ए. पूल खाते से वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्माणाधीन परियोजनाओं पर व्यय की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष 02 प्रतिशत प्रशासनिक मद की बनने वाली कुल धनराशि रू० 330.12 लाख के

http://shasanadesh.up.gov.in

सापेक्ष **निम्न तालिका में अंकित धनराशि रू० 315.82800 लाख (रू० तीन करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार आठ सौ मात्र)** अद्यतन वचनबद्ध बकाया/अवशेष व्यय का भुगतान एस.एन.ए. खाते से आहरित किये जाने की अनुमति के बिन्दु पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र० सं०	योजना	प्रशासनिक मद की 2% धनराशि (रू. लाख में)	इकाई	दर	कुल धनराशि	18 जी0एस0टी0 की धनराशि	प्रस्तावित कुल धनराशि कालम-3 के सापेक्ष (रू० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना से आच्छादित 53 जनपदों एवं निदेशालय में स्थापित आई0टी0 सेल हेतु लेखन सामग्री, फर्नीचर एवं उपकरण	330.12	53 जनपद	30,000/-	15,90,000/-		15,90,000/-
			निदेशालय	-	500000/-		500000/-
2	योजनान्तर्गत परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों एवं उप निदेशकों को गाड़ियों/वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद के मद में प्रत्येक जनपद/मण्डल हेतु रू0 25000/- प्रति माह		53 जनपद	25000/-	1,59,00,000/-		1,59,00,000/-
			09 मण्डल	25000/-	27,00,000/-		27,00,000/-
3	अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर अनुबन्ध के आधार पर 03 मोटर वाहनों की व्यवस्था पर व्यय		03 निदेशालय	100000/-	30,00,000/-	5,40,000/-	35,40,000/-
4	निदेशालय स्तर पर सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार हेतु धनावंटन		निदेशालय	-	15,00,000/-		15,00,000/-
5	डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटेटरों के मानदेय भुगतान हेतु		10	25000/-	40,00,000/-	7,20,000/-	47,20,000/-
6	कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय भुगतान हेतु		04	15000/-	9,60,000/-	1,72,800/-	11,32,800/-
	योग						**3,15,82,800/-**

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का व्यय केवल उपर्युक्त मदों तथा योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों एवं ब्लाक लेवल फैसिलिटेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा तथा भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, सुसंगत प्राविधानों एवं वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(6) उक्त मदों तथा मानदेय का भुगतान सम्बन्धी आदेश एस0एन0ए0 में जमा धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत करने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(7) **प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित धनराशि के व्यय की अनुमति/सहमति इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन्स द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 02 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत व्यय किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।**

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(9) केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त कम्प्यूटर आपरेटरों एवं ब्लाक लेवल फैसिलिटेटरों से सम्बन्धित व्यय हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं अन्य मदों पर व्यय हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या-118(1)/बावन-1-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा० मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
10. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
विशेष सचिव।

DLF and baseline

http://shasanadesh.up.gov.in